प्रारम्भिक वक्तव्य

माननीय सदस्यगण

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के पंचदश और इस कैलेण्डर वर्ष के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन और इसी के साथ नव-वर्ष की हार्दिक शुभकामनायें। कुल पन्द्रह कार्य दिवसों वाले इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदया भारत के संविधान के अनुच्छेद-176 में निहित प्रावधानों के अधीन अपना अभिभाषण देंगी। इसी सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष-2019-20 का बजट भी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम के अवलोकन से आप इस तथ्य से भी अवगत हो चुके होंगे कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट भी सरकार इस सत्र में प्रस्तुत करने जा रही है। माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत होने वाले धन्यवाद प्रस्ताव के साथ- साथ बजट की अनुदान मांगों के माध्यम से आपको सरकार की नीतियों की समीक्षा के साथ इसकी समालोचना के भी पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। आप अवगत हैं कि चौथी विधान सभा के कार्यकाल का यह अंतिम वर्ष है, और इस दृष्टिकोण से इस विधान सभा के कार्यकाल का अंतिम अवसर है- जब माननीय राज्यपाल महोदया हम सबको सम्बोधित करेंगी। साथ ही इस विधान सभा के कार्यकाल का यह अंतिम बजट सत्र भी होगा। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा अवसर है जब इस सरकार के सम्पूर्ण कार्यकाल के मूल्यांकन का मौका माननीय सदस्यों को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इस अवसर का सार्थक उपयोग माननीय सदस्यगण करेंगे।

जैसा कि आप सभी को स्मरण होगा हमारा पिछला सत्र क्रिसमस के पावन पर्व और नये साल के आगाज़ के साथ समाप्त हुआ था, जबकि इस सत्र की शुरूआत मकर-संक्रांति, टुसू, पोंगल और लोहड़ी के मिठास के साथ हुई है। पर्व-त्योहार हमारे सामाजिक जीवन में न केवल नवीन ऊर्जा का संचार करते हैं, वरन् नूतन पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देते हैं। इनके माध्यम से समाज में सौहार्द्र, सद्भावना और भाईचारे का संदेश भी जाता है।

इस प्रकार इन पर्व त्योहारों की व्यापक लोक-महत्ता लोक जीवन में है। मैं कामना करता हूँ कि इनके माध्यम से जिस सृजनात्मक ऊर्जा का संचार आपके बीच हुआ है, सृजन की वह भावना सदन में भी बनी रहे जिससे हम झारखण्ड के समस्त निवासियों के हित में कार्य करने के लिए अपने प्राण-पण से संलग्न रह सकें। वर्त्तमान वर्ष लोक सभा के साथ-साथ इस विधान सभा के सदस्यों के लिए भी चुनाव का वर्ष होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में वर्णित ऊर्जा हमारे भीतर यदि संचित बनी रह सकी तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि हम अपने मतदाताओं की परीक्षा में शत-प्रतिशत खरे उतरेंगे तथा वहाँ से हमें पुनः जीत का जनादेश प्राप्त होगा। विगत 12 जनवरी को युग पुरूष विवेकानन्द जी का जन्म दिवस था। उनका शाश्वत संदेश हमें सर्वदा याद रखना है कि-"उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक मंजिल या लक्ष्य प्राप्त न हो जाये"। उनका यह कथन हममें से प्रत्येक के जीवन का प्रेरणा सूत्र बने मेरी यही कामना है। मैं इसी के साथ गुरू गोविन्द सिंह जी के 352वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित प्रकाश उत्सव के क्रम में भी यह कामना करता हूँ कि भारतीय-मनीषा के ऐसे गुरूओं के जीवन से उद्घाटित प्रकाश आपको हमेशा आलोकित करता रहे।

कृ0पृ030

माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने पहले बतलाया है इस वर्ष का यह पहला सत्र है। भारत का संविधान इस बात के प्रावधान करता है कि प्रत्येक आम–चुनाव के बाद गठित होने वाली विधान सभा के पहले सत्र के साथ–साथ प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रथम सत्र को राज्य के माननीय राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण के माध्यम से सम्बोधित किया जाएगा। यद्यपि इस अवसर पर माननीय राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण दिया जाता है उसकी तैयारी में राज्य सरकार की भी सहभागिता रहती है, यह आम धारणा है कि इस तरह के अभिभाषण में राज्य सरकार की नीतियाँ ही परिलक्षित होती हैं, इसलिए यदा–कदा यह भी कहा जाता है कि माननीय राज्यपाल द्वारा इस माध्यम से जो कुछ कहा जाता है, उनमें सारे के सारे तथ्य राज्य सरकार के होते हैं। मेरी दृष्टि में ऐसा कहा जाना माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का एक पक्ष है।

इसके विपरीत दूसरा किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि विधान सभा में अभिभाषण देकर माननीय राज्यपाल द्वारा महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्त्व का निर्वहन किया जाता है। यही कारण है कि देश के कई उच्च न्यायालयों सहित राष्ट्रीय विधि आयोग ने इसके महत्त्व को स्वीकार किया है तथा राज्यपाल के अभिभाषण के बिना विधान मंडल द्वारा की गयी कार्यवाही को अविधिमान्य माना है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में, चूँकि माननीय राज्यपाल महोदया का सभा में आगमन, सम्बोधन और अभिभाषण एक पवित्र सांवैधानिक अवसर है, अतएव इस अवसर की गरिमा को बनाये रखना हम सभी का पुनीत कर्त्तव्य भी है। यह अवसर इस बात की माँग करता है कि हम माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के दौरान शान्त, संयत और गंभीर रहें। हम अनुशासन का परिचय देते हुए उनके अभिभाषण को शालीनतापूर्वक सुनें, किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें तथा अपने नियत स्थान पर बैठे रहें।

अपने अभिभाषण के निमित्त माननीय राज्यपाल महोदया से जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं आपके समक्ष पढ़कर सुना देना चाहता हूँ:–

–:संदेश:–

"भारत का संविधान के अनुच्छेद–176 के खण्ड(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल इसके द्वारा झारखण्ड विधान सभा को दिनांक–17 जनवरी, 2019 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहती हूँ और इस हेतु लेनिन हॉल, एच0ई0सी0, राँची स्थित झारखण्ड विधान सभा वेश्म् में सदस्यों की उपस्थिति चाहती हूँ।

राँची,दिनांक–04 जनवरी,2019(ई0)

ह0/– द्रौपदी मुर्मू
झारखण्ड की राज्यपाल

अब मैं माननीय राज्यपाल महोदया की अगवानी के लिए सदन से कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। उनके आगमन तक, अभिभाषण के दौरान और अभिभाषण के उपरान्त उनकी वापसी तक जब मैं सभा से अनुपस्थित रहूँ आप कृपया व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा अपने नियत स्थान पर बैठे रहने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद।